न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—225/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/225)

1. रतनी पत्नि रामस्वरूप
2. सीताराम पुत्र रामस्वरूप
3. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप
4. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप

समस्त जाति माली निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. चौथमल पुत्र भागीरथ
2. कैलाशचंद पुत्र भागीरथ
3. रामप्रसाद पुत्र भागीरथ
4. मीरा पुत्री भागीरथ
5. बाबूलाल पुत्र भागीरथ

समस्त जाति रेगर निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 37/2022 बउनवानी चौथमल वगैरह बनाम रतनी देवी व अन्य.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्र भाटी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री सुण्डाराम जाट, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06.

निर्णय

दिनांकः—25.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण/अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया । उपखण्ड अधिकारी केकडी ने प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को जरिए नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार कर प्रार्थना—पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी केकडी ने उक्त प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04.07.2023 के द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुए अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 275 कुल रकबा 3.12 है0 में से 112 X 6 = 672 वर्गमीटर का नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै0मु0 रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि पत्रावली में मौजूद मौका रिपोर्ट एकतरफ में बनकर तैयार हुई है। जिसमें दोनों पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक थी परंतु अपीलांट/अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति के बावजूद उक्त मौका रिपोर्ट तैयार कर दी गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की खुली अवहेलना है धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति बनकर तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिए थी। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पत्रावली पर सरकार का जवाब आवश्यक होने के बावजूद भी सरकार से जवाब तलब किए बगैर ही जिस तरीके से आदेश पारित किया गया है वह काबिल निरस्तनीय है। उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 275 की दक्षिणी मेड से प्रस्तावित मार्ग पर तारबंदी हो रखी है यह स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है इसलिए प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा धारा 251–ए में जिस तरीके से रास्ते के उपयोग उपभोग को दर्शित करते हुए रास्ता चाहा गया है वह गलत है तथा तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से भी उपस्थित नहीं हुए है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा जहां से रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है वह ख़सरा नम्बर 275 नहीं होकर खसरा नम्बर 276 में से आवागमन किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के पास पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है परंतु आराजी खसरा नम्बर 276 के खातेदार काश्तकार से मिलीभगत करते हुए ना तो उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया तथा ना ही पूर्व में जो रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए चले आ रहे है वहां से रास्ते की मांग की गई है इस कारण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज किए जाने योग्य था। उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.7.2023 के अनुसार रास्ते के कुल क्षेत्रफल 672 हेतु वर्तमान डी0एल0सी दर 450875 प्रति है0 के दोगुने से प्रतिकर राशि 60588/–रूपए बनते है वो अदा करके रास्ता लेने का आदेश पारित कर दिया है जो कि गलत है क्योंकि किसी काश्तकार की पूर्ति भूमि के बदले रकम से नहीं की जा सकती है वह तो जमीन के बदले जमीन से ही की जा सकती है क्योंकि काश्तकार की 672 वर्गमीटर भूमि जाने की पूर्ति किस प्रकार होगी इस तथ्य को परीक्षण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील जवाब/बहस पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थीगण की प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी वाकै ग्राम/कस्बा बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 280 में कृषि/सिंचाई कार्य हेतु आने जाने के लिए रास्ता करीबन 20 फीट चौडा खसरा नम्बर 275 में दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 276 के लगवा पूर्व में स्थित था जो कि खसरा नम्बर 391 सरकारी भूमि आम रास्ता से होता हुआ खसरा नम्बर 275 में से होता हुआ खसरा नम्बर 280 में जाता था। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की मौखिक सहमति के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 280 हेतु कृषि कार्य/सिंचाई/पिलाई कार्य हेत ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि यंत्र, औजार आदि लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग में कदीम से पूर्वजों के समय से लिया जाता रहा है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बंद करने व तारबंदी करने पर उतारू है तथा उक्त रास्ते की भूमि को अपने खेत खसरा संख्या 275 में मिलाकर एकरूप कर दिया है। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता स्थित नहीं है, जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में कृषि कार्य, सिंचाई पिलाई आदि करने से कतई असमर्थ हो गए है। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.05.2022 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 उक्त कदीम रास्ते आने–जाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गए एवं रास्ते से आने–जाने से मना कर दिया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 275 में से होकर जाने वाले कदीम रास्ते का खुलासा कराया जाकर 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम किए जाने का निवेदन कर अप्रार्थीगण को पाबंद किए जाने का निवेदन किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। दिनांक 01.09.2022 को तहसीलदार, केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की गई, दिनांक 30.11.2022 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, बघेरा के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अप्रार्थीगण रतनी, ओमप्रकाश, रामप्रसाद ने नोटिस लेने से इंकार किये जाने से मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सीताराम की मौजूदगी में बनायी गयी थी। जिसमें प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 280 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 391 गैरमुमकिन रास्ता से खसरा नम्बर 275 की दक्षिणी मेर से होकर आवागमन सुविधाजनक एवं निकटतम माना है, उसी अनुसार रास्ते बावत् आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पेश किया तथा अपने खसरा नम्बर 280 में कृषि/सिंचाई कार्य हेतु आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 275 में से रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, उनके ओर से अधिवक्ता श्री मदन गोपाल चौधरी ने अपना वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। दिनांक 01.09.2022 को तहसीलदार, केकडी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 30.11.2022 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, बघेरा के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सीताराम की मौजूदगी में तैयार की गई। अप्रार्थीगण रतनी, ओमप्रकाश, रामप्रसाद ने नोटिस लेने से इंकार किया। उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 280 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 391 गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 275 की दक्षिणी मेर से होकर आवागमन सुविधाजनक एवं निकटतम माना है, तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है इस बाबत भी मौका रिपोर्ट में अंकन है, उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है तथा वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 280 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 391 गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 275 की दक्षिणी मेर से होकर आवागमन, सुविधाजनक एवं निकटतम माना हैं। अधिनियम की धारा 251 क के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम 68, 69, 70 तीन नियम बने हुए है। नियम 69 निम्ननुसार है– नियम 69 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल(साईट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि अपना इससे अपना समाधान कर लेता है कि–

क. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत(हॉलडिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है,एवं

ख. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

तहसीलदार केकडी, द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की पालना कर विधिवत रूप से उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर ही रास्ते बाबत् आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने विधिवत रूप से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क तथा सरकारी नियम 69 में वर्णित आवश्यक बिंदुओं का परीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

37/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

25/10/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner